

**TATA POWER**  
(Corporate Contracts Department)  
The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence, 3rd Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela, Sahar Airport Road Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India  
(Board Line: 022-67173917) CIN: L28290MH1919PLC000567

**NOTICE INVITING TENDER (NIT)**  
The Tata Power Company Limited invites tender from eligible vendors for the following tender package (Two-part Bidding) in Mumbai.  
(A) Outline Agreement of 1 year for Services of Control Cable Removal at Trombay RSS. (Package Ref: CC26NK040).  
Interested and eligible bidders to submit Tender Fee and Authorization Letter before **1500 hrs. Wednesday, 11<sup>th</sup> March 2026**.  
For detailed NIT, please visit Tender section on website <https://www.tatapower.com>. Also, all future corrigendum's if any, to the said tender will be published on Tender section of above website (Tata Power → Business Associates → Tender Documents) only.

**NEULAND LABORATORIES LIMITED**  
(CIN: L85195TG1984PLC004393)  
Registered office: 11th Floor (5th Level), Phoenix IVY Building, Plot No. 573A-III, Road No. 82, Jubilee Hills, Hyderabad, 500033, Telangana, India. Tel: 040 6761 1600, [ir@neulandlabs.com](mailto:ir@neulandlabs.com), [www.neulandlabs.com](http://www.neulandlabs.com)

**NOTICE TO SHAREHOLDERS**  
**SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL SHARES**  
Notice is hereby given that SEBI vide its Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/13750/2026 dated January 30, 2026, has opened another special window for transfer and dematerialization ("demat") of physical securities which were sold/purchased prior to April 01, 2019. The special window shall be open for a period of one year from February 05, 2026 to February 04, 2027.  
The transfer requests, which were submitted earlier and were rejected/returned/not attended to, due to deficiency in the documents/process/or otherwise, are required to be re-logged during the period from February 05, 2026 to February 04, 2027 with our Registrar and Transfer Agent (RTA) viz. KFin Technologies Limited at their office at Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy, Telangana, India - 500 032, or Email: [elward.ris@kfinetech.com](mailto:elward.ris@kfinetech.com). RTA Website: <https://ris.kfinetech.com>  
All securities transferred under this special window shall be mandatorily credited to the transferee only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien-marked/pledged during the said lock-in period.  
The transferee shall be mandatorily required to submit all the documents, as prescribed under the aforesaid SEBI circular. Cases involving disputes between transferor and transferee and securities that have been transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) will not be considered under this special window.  
By Order of the Board  
For Neuland Laboratories Limited  
Sd/-  
Sarada Bhamidipati  
Company Secretary  
Place: Hyderabad  
Date: March 10, 2026

**NMDC Limited**  
(A Government of India Enterprise)  
'Khanji Bhavan', 10-3-31/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad - 500 028.  
Corporate Identity Number (CIN) - L13100TG1958G00101674

**WORKS DIVISION**  
**CONTRACTS DEPARTMENT**  
Tender Enquiry No : HO(Contracts)/ERP/E-MAIL MIGRATION/2026/311  
Dated : 10-03-2026

NMDC Limited, A "NAVARATNA" Public Sector Company under Ministry of Steel, Govt. of India, invites **online bids** from experienced domestic bidders for **upgradation of existing MS-Exchange 2013 to Microsoft 365 (O-365) cloud-based solution and migration of Windows Active Directory from Windows-2012 to Windows-2025 Server**.  
The detailed NIT and Bid documents can be viewed and / or downloaded from **10-03-2026 to 17-03-2026** from following website links :  
1. NMDC website <http://www.nmdc.co.in>  
2. Central Public Procurement Portal (CPP PORTAL) <http://www.eprocure.gov.in/epublish/app>  
3. MSTC portal - <https://www.mstcecommerce.com/eproc/>  
For accessing the bid document from MSTC portal, bidder has to visit at MSTC website link <https://www.mstcecommerce.com/eproc/> and search Tender Event No. **NMDC/Head Office/Contract/65/25-26/ET/739**. For further help refer to 'vendor guide' given in MSTC website.  
The bidders are requested to submit their bids online through MSTC Limited e-procurement website.  
For further clarification, the following can be contacted :  
**ED (Works)**, NMDC Limited, Hyderabad, Fax No. 040-23534746, Tel No. 040-23532800, email : [contracts@nmhc.co.in](mailto:contracts@nmhc.co.in).  
**Executive Director (Works)**

**WELCAST STEELS LIMITED**  
(CIN : L27104G1972PLC085827)  
Regd. Office : 115-116, G.V.M.M. Estate, Odhav Road, Odhav, Ahmedabad - 382 415  
Website: [www.welcaststeels.com](http://www.welcaststeels.com); E-mail: [info@welcaststeels.com](mailto:info@welcaststeels.com)  
Phone: 079-22901078, Fax: 079-22901077

**NOTICE FOR SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER OF PHYSICAL SHARES**  
This is to inform you that SEBI vide Circular No. HO/38/11(2)2026-MIRSD-POD/13750/2026 dated 30 January, 2026, has decided to open another special window for a period of one year from 5<sup>th</sup> February, 2026 to 4<sup>th</sup> February, 2027 for transfer of physical shares, which were sold/purchased prior to 1<sup>st</sup> April, 2019 including such transfer requests which were submitted earlier and were rejected or returned or not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise, in order to facilitate ease of investing for investors and to secure the rights of investors in the securities which were purchased by them. During this period, the securities so transferred shall be mandatorily credited to the transferee only in demat mode and shall be under lock-in for a period of one year from the date of registration of transfer. Such securities shall not be transferred/lien-marked/pledged during the said lock-in period.  
The concerned investors are requested to take advantage of this Special Window, which remains open until 4<sup>th</sup> February, 2027, to submit the documents such as (a) Original Share Certificate(s), (b) Transfer deed executed prior to 1<sup>st</sup> April, 2019, (c) Proof of purchase by Transferee, as may be available, (d) KYC documents of the transferee (as per ISR Forms), (e) Latest Client Master list (CML), not older than 2 months, of the demat account of the transferee, duly attested by Depository Participant, (f) Undertaking cum indemnity to our Registrar and Share Transfer Agent ("RTA"), whose address is below, within the above-mentioned period.  
**Bigshare Services Private Limited**, Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093. Tel. 022-62638200. Email: [investor@bigshareonline.com](mailto:investor@bigshareonline.com). Website: [www.bigshareonline.com](http://www.bigshareonline.com).  
For more details, you may contact our RTA, Bigshare Services Private Limited.  
For Welcast Steels Limited  
Sd/-  
Paresh M. Shukla  
Company Secretary  
Place: Ahmedabad  
Date: 10<sup>th</sup> March 2026

**THE INVESTMENT TRUST OF INDIA LIMITED**  
Registered Office: ITI House, 36, Dr. R. K. Shirodkar Marg, Parel, Mumbai - 400 012. Tel.: 022 4027 3600. Website: [www.itorg.com](http://www.itorg.com)  
Email: [info@itorg.com](mailto:info@itorg.com) CIN: L65910MH1991PLC062067

**SPECIAL WINDOW FOR TRANSFER AND DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL SHARES**  
Notice is hereby given to shareholders of The Investment Trust of India Limited ("the Company") that pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/13750/2026 dated January 30, 2026, the Company has opened another special window for transfer and dematerialisation of physical shares.  
This special window shall remain open for a period of one year commencing from 5<sup>th</sup> February, 2026 to 4<sup>th</sup> February, 2027 ("stipulated period").  
The special window is opened for transfer and dematerialisation of physical shares which were sold/purchased prior to 1<sup>st</sup> April, 2019 and for such transfer requests which were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process or otherwise. The eligible shareholders who have missed the earlier deadline, are encouraged to take advantage of this opportunity. All securities transferred under this special window shall be mandatorily credited only in dematerialised form to the transferee's demat account.  
For clarity regarding the applicability of this special window, shareholders are requested to refer to the matrix provided below:  

Execution Date of Transfer Deed	Lodged for transfer before April 1, 2019?	Original Share Certificate Available?	Eligible to Lodge in the current window?
Before April 01, 2019	No (It is Fresh Lodgement)	Yes	Yes
	Yes (rejected/returned earlier)	Yes	Yes
	Yes	No	No
	No	No	No

  
Cases involving disputes between transferor and transferee shall not be considered under this special window and may be resolved by the concerned parties through appropriate court or NCLT Proceedings. Further, shares which have already been transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) shall not be eligible for processing under this special window.  
Eligible shareholders are requested to submit their transfer request along with original share certificate(s), transfer deed(s) and other requisite documents within the stipulated period to the Company's Registrar to an Issue and Share Transfer Agent, M/s. Purva Share Registry India Pvt. Ltd. ("RTA"), Unit no. 9, Shivshakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 011, Tel. No.: +91 22 4134 3255/ +91 22 4134 3256, E-mail: [support@purvashare.com](mailto:support@purvashare.com) to avail the benefit of this facility.  
For The Investment Trust of India Limited  
Sd/-  
Vidhita Narkar  
Date : March 10, 2026  
Place : Mumbai  
Company Secretary and Compliance Officer

**Utkarsh CoreInvest Limited**

**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL ALLAHABAD BENCH AT ALLAHABAD IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND IN THE MATTER OF SECTIONS 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND IN THE MATTER OF UTKARSH COREINVEST LIMITED AND IN THE MATTER OF UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED AND IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION OF UTKARSH COREINVEST LIMITED WITH UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS CA (CAA) NO. 37/2025**

**UTKARSH COREINVEST LIMITED**  
CIN: U65191UP1990PLC045609

A company incorporated under the Companies Act, 2013,  
**Registered Office:** S-24/1-2, Fourth Floor, Mahavir Nagar, Orderly Bazar, Near Mahavir Mandir, Varanasi, Uttar Pradesh, India - 221002  
Represented by its authorized signatory - Mr. Neeraj Kumar Tiwari  
**Tel. No.:** +91-9598069737 | **Email:** [secretarial@utkarshcoreinvest.com](mailto:secretarial@utkarshcoreinvest.com)

**NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE FOR CONVENING MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS (INCLUDING PUBLIC SHAREHOLDERS) OF UTKARSH COREINVEST LIMITED**

1. Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, Allahabad ("NCLT"), by an order dated February 11, 2026, ("NCLT Order"), has directed convening of a meeting of the equity shareholders (including public shareholders) of Utkarsh CoreInvest Limited ("Company" / "Transferor Company") for the purpose of considering, and if thought fit, approving the Scheme of Amalgamation between Utkarsh CoreInvest Limited ("Transferor Company") and Utkarsh Small Finance Bank Limited ("Transferee Company") and their respective shareholders (hereinafter referred to as "Scheme") pursuant to Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 ("Companies Act") read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamation) Rules, 2016 ("CAA Rules") and other applicable provisions of the Companies Act and CAA Rules.  
2. In pursuance of the NCLT Order and as directed therein further, this Notice is hereby given that a meeting of the equity shareholders (including public shareholders) of the Transferor Company will be held on Saturday, March 28, 2026 through video conferencing ("VC") (hereinafter referred to as the "Meeting") in compliance with the applicable laws including circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time and the said unsecured creditors are requested to attend the meeting.  
3. The Transferor Company has sent via email the Notice of the Meeting dated February 24, 2026 and the Explanatory Statement as required under Sections 230(3), 232(1) and (2) and 102 of the Act read with Rule 6 of the Rules and the documents stated in the index of the notice (collectively referred to as "Notice and Annexures") on February 24, 2026 to the equity shareholders of the Transferor Company whose names appear in the register of members/list of beneficial owners as on Friday February 20, 2026, and whose e-mail addresses are registered with the Transferor Company/ the relevant Depository (ies) as on the said date. For the equity shareholders who have not registered their e-mail address with the Transferor Company/ the relevant Depository (ies), the Notice of this Meeting, together with Annexures can be downloaded from the website of the Transferor Company. A copy of this Notice and the Annexures will also be hosted on the website of the Transferor Company at [www.utkarshcoreinvest.com](http://www.utkarshcoreinvest.com) and on the website of the e-voting agency viz. National Securities Depository Limited ("NSDL") at [www.evoting.nsd.com](http://www.evoting.nsd.com).  
4. Upto the date of this meeting, the copies of the Notice and/or Annexure can be obtained free of charge within 1 (one) day on a requisition being so made for the same by any person entitled to attend the Meeting at the registered office.  
5. Considering that the Meeting is being held through VC as per NCLT Order, and in compliance with MCA Circulars, without the requirement of physical presence of the equity shareholders, the facility of appointment of proxies by equity shareholders under Section 105 of the Companies Act will not be available for the said Meeting.  
6. The NCLT has appointed Dr. Santosh Kumari (email ID: [sk.kumar7916@gmail.com](mailto:sk.kumar7916@gmail.com)) as the Chairperson and Mr. Anant Prakash (email: [anantprakash.adv@gmail.com](mailto:anantprakash.adv@gmail.com)) as the alternate Chairperson, of the said meeting. The NCLT has appointed Mr. Sumit Agrawal (email ID: [agrusmit@yahoo.co.in](mailto:agrusmit@yahoo.co.in)) to be the Scrutinizer for the Meeting.  
7. The equity shareholders shall have the facility and option of voting on the resolution for approval of the Scheme by casting their votes (a) through e-voting system available at the Meeting to be held through VC (b) by remote electronic voting during the period as stated below:

**Remote e-voting period**

Commencement of remote e-voting period	09:00 AM IST, Wednesday, March 25, 2026
End of remote e-voting period	05:00 PM IST, Friday, March 27, 2026

8. The detailed procedure for attending the meeting through VC and e-voting forms part of the said Notice, and the equity shareholders are requested to read the same. A few important details regarding e-voting are provided below:  
a) The E-voting facility will also be made available during the meeting for those equity shareholders who had not voted through remote e-voting, to exercise their voting rights. Equity shareholders who have cast their vote through remote e-voting, will be entitled to attend and participate in the Meeting, but not to vote again during the Meeting. The e-voting would commence post the discussion pertaining to the business mentioned in the Notice is concluded and this facility would be available for 30 minutes thereafter.  
b) Voting rights of a member / beneficial owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital as on the cut-off date, i.e. Friday February 20, 2026.  
c) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date or the member who has not registered his/her e-mail address may obtain the User ID and password from NSDL by sending a request to NSDL.  
d) The Scheme shall be considered as approved by the equity shareholders of the Transferor Company if the resolution mentioned in the Notice has been approved by majority of persons representing three-fourth in value of the equity shareholders by remote e-voting and by e-voting during the Meeting, taken together, in terms of the provisions of Sections 230 - 232 of the Companies Act. The Scheme shall be acted upon only if the number of votes cast by the Public Shareholders (through remote e-voting and e-voting during the Meeting) in favour of the aforesaid resolution for approval of the Scheme is more than the number of votes cast by the Public Shareholders against it.  
Further, the Scheme once approved by the equity shareholders as aforesaid, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.  
The result of e-voting will be declared on or before March 31, 2026, and the same, along with the Scrutinizer's Report, will be displayed at the registered office, on the website of the Transferor Company at <https://www.utkarshcoreinvest.com> and on the website of e-voting agency, National Securities Depository Limited ("NSDL") at [www.evoting.nsd.com](http://www.evoting.nsd.com).  
e) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsd.com](http://www.evoting.nsd.com) or call on.: 022 -4886 7000 or send a request to Mr. Kaushal Kumar at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

By Order of the NCLT, Allahabad Bench  
SD/-  
Neeraj Kumar Tiwari  
Authorized Representative  
Utkarsh CoreInvest Limited  
Date: March 11, 2026  
Place: Varanasi

**Utkarsh Small Finance Bank**  
*Aapki Ummeed Ka Khaata*  
(A Scheduled Commercial Bank)

**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL ALLAHABAD BENCH, PRAYAGRAJ IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND IN THE MATTER OF SECTIONS 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES FRAMED THEREUNDER AND IN THE MATTER OF UTKARSH COREINVEST LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY" or "APPLICANT COMPANY 1" AND IN THE MATTER OF UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED ("TRANSFEEEE COMPANY" or "APPLICANT COMPANY 2") AND IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION OF UTKARSH COREINVEST LIMITED WITH UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS CA (CAA) NO. 37/ALD/2025**

**UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED**  
CIN: L65992UP2016PLC082804  
A company incorporated under the Companies Act, 2013,  
**Registered Office:** Utkarsh Tower, NH-31 (Airport Road), Sehmulpur, Kazi Sarai, Harhua, Varanasi, PIN - 221105, Uttar Pradesh  
Represented by its authorized signatory - Mr. Muthiah Ganapathy  
**Tel. No.:** +91-542-6135000 | **Email:** [shareholders@utkarsh.bank](mailto:shareholders@utkarsh.bank)

**NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE FOR CONVENING MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS OF UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED**

1. Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, Prayagraj ("NCLT"), by an order dated February 11, 2026, ("NCLT Order"), has directed convening of a meeting of the equity shareholders of Utkarsh Small Finance Bank Limited ("Company" / "Bank" / "Transferee Company") for the purpose of considering, and if thought fit, approving the Scheme of Amalgamation of Utkarsh CoreInvest Limited ("Transferor Company") into and with Utkarsh Small Finance Bank Limited (Transferee Company) and their respective shareholders (hereinafter referred to as "Scheme") pursuant to Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 ("Companies Act") read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamation) Rules, 2016 ("CAA Rules") and other applicable provisions of the Companies Act and CAA Rules.  
2. In pursuance of the NCLT Order and as directed therein further, this Notice is hereby given that a meeting of the equity shareholders of the Transferee Company will be held on Saturday, March 28, 2026 at 12.30 pm (IST) through video conferencing ("VC") (hereinafter referred to as the "Meeting") in compliance with the applicable laws including circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time and the said equity shareholders are requested to attend the meeting.  
3. The Transferee Company has sent via email the Notice of the Meeting dated February 24, 2026 and the Explanatory Statement as required under Sections 230(3), 232(1) and (2) and 102 of the Act read with Rule 6 of the Rules and the documents stated in the index of the notice (collectively referred to as "Notice and Annexures") on February 24, 2026 to the equity shareholders of the Transferee Company whose names appear in the register of members/list of beneficial owners as on Friday, February 20, 2026 and whose e-mail addresses are registered with the Transferee Company/ the relevant Depository (ies) as on the said date. Physical copies of the Notice(s) are being sent to those shareholders who have not registered their e-mail address in the mode as specified in NCLT Order. A copy of this Notice and the Annexures will also be hosted on the website of the Transferee Company at [www.utkarsh.bank.in/investors](http://www.utkarsh.bank.in/investors), the websites of BSE Limited (at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Limited (at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and also on the website of the e-voting agency viz. National Securities Depository Limited ("NSDL") at [www.evoting.nsd.com](http://www.evoting.nsd.com).  
4. Upto the date of this meeting, the copies of the Notice and/or Annexure can be obtained free of charge within 1 (one) day on a requisition being so made for the same by any person entitled to attend the Meeting at the registered office.  
5. Considering that the Meeting is being held through VC as per NCLT Order, and in compliance with MCA Circulars, without the requirement of physical presence of the equity shareholders, the facility of appointment of proxies by equity shareholders under Section 105 of the Companies Act will not be available for the said Meeting.  
6. The NCLT has appointed Dr. Santosh Kumari (email ID: [sk.kumar7916@gmail.com](mailto:sk.kumar7916@gmail.com)) as the chairperson and Mr. Anant Prakash (email: [anantprakash.adv@gmail.com](mailto:anantprakash.adv@gmail.com)) as the alternate chairperson, of the said meeting. The NCLT has appointed Mr. Sumit Agrawal (email ID: [agrusmit@yahoo.co.in](mailto:agrusmit@yahoo.co.in)) to be the Scrutinizer for the Meeting.  
7. The equity shareholders shall have the facility and option of voting on the resolution for approval of the Scheme by casting their votes (a) through e-voting system available at the Meeting to be held through VC (b) by remote electronic voting during the period as stated below:

**Remote e-voting period**

Commencement of remote e-voting period	09:00 AM IST, Wednesday, March 25, 2026
End of remote e-voting period	05:00 PM IST, Friday, March 27, 2026

8. The detailed procedure for attending the meeting through VC and e-voting forms part of the said Notice, and the equity shareholders are requested to read the same. A few important details regarding e-voting are provided below:  
a) The E-voting facility will also be made available during the meeting for those equity shareholders who had not voted through remote e-voting, to exercise their voting rights. Equity shareholders who have cast their vote through remote e-voting, will be entitled to attend and participate in the Meeting, but not to vote again during the Meeting. The e-voting would commence post the discussion pertaining to the business mentioned in the Notice is concluded and this facility would be available for 30 minutes thereafter.  
b) Voting rights of a member / beneficial owner (in case of electronic shareholding) except the Promoter of the Bank i.e. Utkarsh CoreInvest Limited shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital as on the cut-off date, i.e. March 21, 2026.  
c) Any person who becomes member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date or the member who has not registered his/her e-mail address may obtain the User ID and password from NSDL by sending a request to NSDL.  
d) The Scheme shall be considered as approved by the equity shareholders of the Transferee Company if the resolution mentioned in the Notice has been approved by majority of persons representing three-fourth in value of the equity shareholders by remote e-voting and by e-voting during the Meeting, taken together, in terms of the provisions of Sections 230 - 232 of the Companies Act. Further, in terms of SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/93 dated June 20, 2023 (which rescinded the erstwhile SEBI Master Circular No. SEBI/HO/CFD/DIL1/CIR/P/2021/665 dated November 23, 2021) ("SEBI Master Circular"), the Scheme shall be acted upon only if the number of votes cast by the Public Shareholders (through remote e-voting and e-voting during the Meeting) in favour of the aforesaid resolution for approval of the Scheme is more than the number of votes cast by the Public Shareholders against it.  
Further, the Scheme once approved by the equity shareholders as aforesaid, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.  
The result of e-voting will be declared on or before March 31, 2026, and the same, along with the Scrutinizer's Report, will be displayed at the registered office, on the website of the Transferee Company at <https://www.utkarsh.bank.in> websites of BSE Limited at ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Limited (at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)); and on the website of e-voting agency, National Securities Depository Limited ("NSDL") at [www.evoting.nsd.com](http://www.evoting.nsd.com).  
e) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsd.com](http://www.evoting.nsd.com) or call on.: 022 -4886 7000 or send a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

By Order of the NCLT, Allahabad Bench, Prayagraj  
SD/-  
Muthiah Ganapathy  
Authorized Representative  
Utkarsh Small Finance Bank Limited  
Date: March 11, 2026  
Place: Mumbai

# Wheat output seen at record 120 MT

SANDIP DAS  
New Delhi, March 10

**INDIA'S WHEAT PRODUCTION** is estimated at a record 120.21 million tonne (MT) in the 2025-26 crop year (July-June), an increase of more than 2% from 117.94 MT in the previous year, the agriculture ministry said on Tuesday.

Overall rabi crop output, including pulses, oilseeds and coarse cereals is estimated to increase by 3.16% to 174.51 MT in 2025-26 crop year compared to previous year, according to the second advance estimate of food-grains production.

The harvesting of wheat, a major rabi crop, has com-

menced and expected to pick up pace in key growing states - Madhya Pradesh, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh over the next couple of weeks.

The area under wheat cultivation this season has risen to 33.41 million hectares (mha), about 3% higher than last year and well above the normal sown area of 31.2 mha.

# GROUP AND CROSS-BORDER INSOLVENCY AMONG KEY PROPOSALS

# Govt nod to IBC tweaks, quicker resolution likely

● Revised Bill to be introduced in current session

MANU KAUSHIK  
New Delhi, March 10

**THE UNION CABINET** on Tuesday approved changes in the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2015 that will significantly reduce the resolution timelines, and pave the way for structural reforms in the decade-old law.

An official told FE that the Cabinet approved all 11 observations and suggestions proposed by the select committee on the IBC (Amendment) Bill.

The revised Bill will likely be presented in Parliament in the ongoing session. Among the major changes in the IBC law, the Bill allows creditors to initiate insolvency for genuine business failures under creditor-initiated insolvency resolution process (CIIRP). This out-of-the-court mechanism will need support of financial creditors with 51% approval to trigger insolvency.

Post initiation, the process

## PAVING WAY

■ All 11 observations and suggestions proposed by the select committee on the IBC (Amendment) Bill were approved

■ It allows creditors to initiate insolvency for genuine business failures under CIIRP

■ Out-of-the-court system will need support of financial creditors with 51% approval to trigger insolvency



■ Post initiation, the process has to be concluded within 150 days with a possible extension of 45 days

has to be concluded within 150 days with a possible extension of 45 days.

"As a debtor-in-possession model, CIIRP provides promoters with greater confidence to pursue revival while avoiding a full-scale formal insolvency process," said Siddharth Srivastava, partner at Khaitan & Co.

Further, the Bill empowers the government to draft rules pertaining to group insolvency and cross-border insolvency cases. In case of group insolvency, the Bill has proposed a framework for coordinating

the insolvency proceedings of multiple related companies within a large corporate group, rather than dealing with them separately. The idea is to minimise the value erosion, maximise asset value and reduce conflicting outcomes in related entities.

Addressing the delays in the insolvency and liquidation proceedings, the amendments have introduced various timelines for authorities such as National Company Law Tribunal (NCLT) which will be required to dispose of liquida-

# Cabinet clears Jal Jeevan 2.0

FE BUREAU  
New Delhi, March 10


**THE CABINET ON** Tuesday approved a major overhaul and extension of the Jal Jeevan Mission.

It shifts the programme's focus from merely building rural water infrastructure to ensuring reliable and accountable service delivery, while giving a larger operational role to village institutions such as gram panchayats.

Under the revamped Jal Jeevan Mission (JJM) 2.0, the programme will continue until December 2028 with a significantly higher financial commitment and a governance framework aimed at strengthening community participation in rural drinking water management.


The Cabinet cleared a revised total outlay of ₹8.69 lakh crore, including central assistance of ₹3.59 lakh crore. This represents an additional central allocation of ₹1.51 lakh crore over the ₹2.08 lakh crore approved when the mission was first launched in 2019.

The redesigned programme marks a shift from infrastructure expansion towards the long-term sustainability of water services.



**Utkarsh Small Finance Bank**  
*Aapki Ummeed Ka Khaata*  
(A Scheduled Commercial Bank)

**BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL ALLAHABAD BENCH, PRAYAGRAJ IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND IN THE MATTER OF SECTIONS 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULES FRAMED THEREUNDER AND IN THE MATTER OF UTKARSH COREINVEST LIMITED ("TRANSFEROR COMPANY" or "APPLICANT COMPANY 1") AND IN THE MATTER OF UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED ("TRANSFeree COMPANY" or "APPLICANT COMPANY 2") AND IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION OF UTKARSH COREINVEST LIMITED WITH UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS CA (CAA) NO. 37/ALD/2025**



**UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED**  
CIN: L65992UP2016PLC082804  
A company incorporated under the Companies Act, 2013.  
Registered Office: Utkarsh Tower, NH-31 (Airport Road), Sehmulpur, Kazi Sarai, Harhua, Varanasi, PIN - 221105, Uttar Pradesh  
Represented by its authorized signatory - Mr. Muthiah Ganapathy  
Tel. No.: +91-542-6135000 | Email: shareholders@utkarsh.bank

**NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE FOR CONVENING MEETING OF UNSECURED CREDITORS OF UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED**

- Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench, Prayagraj ("NCLT"), by an order dated February 11, 2026, ("NCLT Order"), has directed convening of a meeting of the unsecured creditors of Utkarsh Small Finance Bank Limited ("Company" / "Bank" / "Transferee Company") for the purpose of considering, and if thought fit, approving the Scheme of Amalgamation of Utkarsh Coreinvest Limited ("Transferor Company") into and with Utkarsh Small Finance Bank Limited (Transferee Company) and their respective shareholders (hereinafter referred to as "Scheme") pursuant to Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 ("Companies Act") read with the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamation) Rules, 2016 ("CAA Rules") and other applicable provisions of the Companies Act and CAA Rules.
- In pursuance of the NCLT Order and as directed therein further, this Notice is hereby given that a meeting of the unsecured creditors of the Transferee Company will be held on Saturday, March 28, 2026 at 3.30 pm (IST) through video conferencing ("VC") (hereinafter referred to as the "Meeting") in compliance with the applicable laws including circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs from time to time and the said unsecured creditors are requested to attend the meeting.
- The Transferee Company has sent via email the Notice of the Meeting dated February 24, 2026 and the Explanatory Statement as required under Sections 230(3), 232(1) and (2) and 102 of the Act read with Rule 6 of the Rules and the documents stated in the index of the notice (collectively referred to as "Notice and Annexures") on February 24, 2026 to the unsecured creditors of the Transferee Company whose names appear in the list of unsecured creditors as on Sunday, November 30, 2025, and whose e-mail addresses are registered with the Transferee Company/ the relevant Depository (ies) as on the said date. Physical copies of the Notice (s) are being sent to those unsecured creditors who have not registered their e-mail address in the mode as specified in NCLT Order. A copy of this Notice and the Annexures will also be hosted on the website of the Transferee Company at <https://www.utkarsh.bank.in/investors> the websites of BSE Limited (at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Limited (at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and also on the website of the e-voting agency viz. National Securities Depository Limited ("NSDL") at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
- Up to the date of this meeting, the copies of the Notice and/or Annexure can be obtained free of charge within 1 (one) day on a requisition being so made for the same by any person entitled to attend the Meeting at the registered office.
- Considering that the Meeting is being held through VC as per NCLT Order, and in compliance with MCA Circulars, without the requirement of physical presence of the unsecured creditors, the facility of appointment of proxies by unsecured creditors will not be available for the said Meeting.
- The NCLT has appointed Dr. Santosh Kumari (email ID: [sk.kumari7916@gmail.com](mailto:sk.kumari7916@gmail.com)) as the chairperson and Mr. Anant Prakash (email: [anantprakash.adv@gmail.com](mailto:anantprakash.adv@gmail.com)) as the alternate chairperson, of the said meeting. The NCLT has appointed Mr. Sumit Agrawal (email ID: [agrsumit@yahoo.co.in](mailto:agrsumit@yahoo.co.in)) to be the Scrutinizer for the Meeting.
- The unsecured creditors shall have the facility and option of voting on the resolution for approval of the Scheme by casting their votes (a) through e-voting system available at the Meeting to be held through VC (b) by remote electronic voting during the period as stated below:

Remote e-voting period	
Commencement of remote e-voting period	09:00 AM IST, Wednesday, March 25, 2026
End of remote e-voting period	05:00 PM IST, Friday, March 27, 2026

- The detailed procedure for attending the meeting through VC and e-voting forms part of the said Notice, and the unsecured creditors are requested to read the same. A few important details regarding e-voting are provided below:
  - The E-voting facility will also be made available during the meeting for those unsecured creditors who had not voted through remote e-voting, to exercise their voting rights. Unsecured creditors who have cast their vote through remote e-voting, will be entitled to attend and participate in the Meeting, but not to vote again during the Meeting. The e-voting would commence post the discussion pertaining to the business mentioned in the Notice is concluded and this facility would be available for 30 minutes thereafter.
  - Voting rights of an unsecured creditor shall be in proportion to their outstanding dues in the transferee company as on the close of business on November 30, 2025.
  - The Scheme shall be considered as approved by the unsecured creditors of the Transferee Company if the resolution mentioned in the Notice has been approved by majority of persons representing three-fourth in value of the unsecured creditors by remote e-voting and by e-voting during the Meeting, taken together, in terms of the provisions of Sections 230 - 232 of the Companies Act.

Further, the Scheme once approved by the unsecured creditors as aforesaid, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

The result of e-voting will be declared on or before March 31, 2026, and the same, along with the Scrutinizer's Report, will be displayed at the registered office, on the website of the Transferee Company (at <https://www.utkarsh.bank.in>); websites of BSE Limited at ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and National Stock Exchange of India Limited (at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)); and on the website of e-voting agency, National Securities Depository Limited ("NSDL") at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

d) E-voting user manual for unsecured creditors available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on: 022-48867000 or send a request at [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com).

**Bby Order of the NCLT, Allahabad Bench, Prayagraj**  
Sd/-  
**Muthiah Ganapathy**  
Authorized Representative  
Utkarsh Small Finance Bank Limited

Date: March 11, 2026  
Place: Mumbai

# Govt plans to cover risk of exporters

MUKESH JAGOTA  
New Delhi, March 10

**TO PROVIDE A** cushion to exporters facing the fallout of the West Asia conflict, the government is looking at formulating schemes that would mitigate the risks they might face, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said on Tuesday.

"We are looking to develop some new schemes like insurance support... We are consulting the Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) and other departments on that," Goyal told reporters after the inauguration of international food and hospitality fair AAHAR 2026.

Under the broader umbrella of the Export Promotion Mission (EPM), which has eight key components, some steps may also be announced. The conflict that started on February 28 has led to the shutting off of West Asia, a key market for India's exports. In 2024-25, India's exports to the region were around \$58.8 billion.

The immediate impact of the war was that products dispatched to the region's countries were stranded at sea. After a few days at sea, shipping lines discharged some containers at nearby ports. While perishables cannot be retrieved, the



government has eased rules for the re-entry of goods that left Indian shores.

Because of the war, shipping lines have started seeking a surcharge and imposing other ancillary charges. For transporting goods to Europe and the US, ships are using the Cape of Good Hope at the tip of Africa.

Following complaints from those involved in export-import, director general of shipping directed all shipping lines, carriers and their agents to refrain from predatory, non-transparent and opportunistic pricing practices, including levying exorbitant charges that take undue advantage of the prevailing geopolitical issue.

They were also advised to adhere to fair trade practices, avoid levying charges that might cause disputes.

# Centre nets ₹73,204 cr from CPSE dividends, beats target

PRASANTA SAHU  
New Delhi, March 10

**THE CENTRE'S DIVIDEND** receipts from central public sector enterprises (CPSEs) have exceeded the budget target of ₹71,000 crore by collecting ₹73,204 crore as on Tuesday.

In the revised estimates for FY26, the government pegged CPSE dividend receipts at ₹71,000 crore, marginally higher than the budget estimate of ₹69,000 crore, signalling confidence in sustained profitability across key public sector undertakings.


With nearly three weeks left for the year to conclude, the CPSE dividends could rise further by the end of March to create a new record.

Dividend income from CPSEs is an important component of the Centre's non-tax revenue, alongside other major sources such as surplus transfers from the Reserve Bank of India and proceeds from telecom spectrum auctions.

In FY25, CPSE dividend receipts climbed to a record ₹74,140 crore, comfortably exceeding the budgeted target of ₹69,000 crore. That outperformance was aided by relatively benign global crude oil and commodity prices, which sup-

## EXCEEDING EXPECTATIONS

Centre's dividend receipts from CPSEs (₹ crore)



ported profitability in several state-owned energy companies.


The pattern has broadly continued in FY26, with dividend payments once again dominated by energy sector enterprises. So far in FY26, the top dividend payers include Coal India (₹10,271 crore), Oil and Natural Gas Corporation (₹10,002 crore), Indian Oil Corporation (₹5,818 crore), and Bharat Petroleum Corporation (₹5,171 crore), underscoring the sector's continued importance to government finances.

In addition to traditional CPSEs, financial and quasi-sovereign investment vehicles have emerged as signifi-

cant dividend contributors. The National Investment and Infrastructure Fund has paid a dividend of ₹4,013 crore to the Centre so far, highlighting the growing role of such platforms in augmenting non-tax receipts.

Higher dividend inflows from CPSEs, together with the record surplus transfer from the Reserve Bank of India, have helped cushion the Centre's fiscal position in recent years.

Supported by an RBI dividend of ₹2.69 lakh crore, the fiscal deficit for FY26 has been pegged at 4.4% of GDP, lower than 4.8% in FY25.



**INOX GREEN ENERGY SERVICES LIMITED**  
CIN: L45207GJ2012PLC070279  
Regd. Off.: Survey No. 1837 & 1834 At Moje Jetalpur, ABS Tower, 2<sup>nd</sup> Floor, Old Padra Road, Vadodra, Gujarat-390007  
Phone: 0265-6198111 | Tel/ Fax: 0265-2310312 | Email: [investor@inoxgreen.com](mailto:investor@inoxgreen.com) | Website: [www.inoxgreen.com](http://www.inoxgreen.com)

**NOTICE OF POSTAL BALLOT AND E-VOTING INFORMATION**

Notice is hereby given that in accordance with Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules"), Regulations 44 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings ("SS-2") and the relaxations and clarifications issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India from time to time vide their various Circulars and any other applicable provisions of the Act, rules, regulations, circulars and notifications (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the approval of the members of Inox Green Energy Services Limited (the "Company") has been sought by way of a Postal Ballot through electronic means ("e-Voting") on the Resolution(s) as set out in the Postal Ballot Notice dated 13<sup>th</sup> February, 2026 ("Notice") which has been dispatched electronically to those members whose names appear in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on Friday, 8<sup>th</sup> March, 2026 ("Cut-off date") and whose email ids are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agent i.e. MUFUG Intime India Private Limited ("RTA") or Depository Participants. The Company has completed the dispatch of Notice of Postal Ballot along with the Explanatory Statement on **Tuesday, 10<sup>th</sup> March, 2026**.

The Postal Ballot Notice is available on the website of the Company; [www.inoxgreen.com](http://www.inoxgreen.com) and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (BSE); [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (NSE); [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL); [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

In accordance with the applicable MCA Circulars, the Company is providing the facility to exercise the right to vote on the Resolution(s) proposed in the said Postal Ballot Notice only by electronic means (e-Voting). The communication of the assent or dissent of the members would take place through the e-Voting system only. The Company has availed the services of NSDL as the agency to provide e-Voting facility.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners as on the Cut-off date only shall be entitled to avail the facility of e-Voting. Voting rights of member(s)/ beneficial owner(s) for e-Voting shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-off date. A person who becomes a member after the Cut-off date should treat this Notice for information purpose only. Vote once casted by the member shall not be allowed to be changed subsequently. The e-Voting period is as follows:

Particulars	Date
Commencement of e-Voting	Thursday, 12 <sup>th</sup> March, 2026 at 09:00 A.M. (IST)
Conclusion of e-Voting	Friday, 10 <sup>th</sup> April, 2026 at 05:00 P.M. (IST)



Please note that e-Voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. (IST) on Friday, 10<sup>th</sup> April, 2026 and the e-Voting facility will be disabled by NSDL thereafter. Instructions on the process of e-Voting including the manner in which members holding shares in physical mode or who have not registered their e-mail addresses can cast their vote are provided as part of the Postal Ballot Notice.

The Results declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the websites of the Company & NSDL and shall also be communicated to the Stock Exchanges i.e., BSE and NSE within 2 (two) working days from the conclusion of e-Voting i.e. on or before **Wednesday, 15<sup>th</sup> April, 2026**.

Members having any grievance connected with e-Voting may contact Ms. Pallavi Mhatre, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4<sup>th</sup> Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 at the designated email ID: [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) or call at 022 48867000.

By order of the Board of Directors  
For **Inox Green Energy Services Limited**  
Sd/-  
**Anup Kumar Jain**  
Company Secretary

Place : Noida  
Date : 10<sup>th</sup> March, 2026

**ALBERT DAVID LIMITED**  
Regd. Office : 'D' Block, 3rd Floor, Gillander House, 8, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001  
(Corporate Identity No. : L51109WB1938PLC009490)  
Tel : 033-2262-8436/8456/8492, 2230-2330, Fax : 033-2262-8439  
Email : [albertdavid@adlindia.in](mailto:albertdavid@adlindia.in), Website : [www.albertdavidindia.com](http://www.albertdavidindia.com)

**NOTICE TO SHAREHOLDERS**

**SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE/MENT OF TRANSFER REQUESTS OF EQUITY SHARES HELD IN PHYSICAL MODE**

Albert David Limited hereby informs its shareholders that the Securities Exchange Board of India vide its circular no. SEBI/ HO/38/13/11(2) 2026-MIRSD-POD/ I/3750/2026 dated January 30, 2026, has announced re-opening of special window for re-lodgement of transfer requests of equity shares held in physical window.

To facilitate ease of investing and safeguard the rights of investors in respect of the securities purchased by them, this special window has been re-opened solely for the re-lodgement of physical transfer deeds that were originally executed prior to April 1, 2019.

**This special window will remain open until February 4, 2027, providing shareholders with one year to re-lodge their physical transfer requests.**

For better understanding of the aforesaid Circular, please refer to the matrix given below:

Execution date of transfer deed	Lodged for transfer before April 1, 2019?	Original Share Certificates available?	Eligible to lodge in the current window?
Before April 01, 2019	No (it is fresh lodgement)	Yes	Yes
	Yes (it was rejected/ returned earlier)	Yes	Yes
	Yes	No	No
	No	No	No

Eligible shareholders are requested to refer the Circular for further details and re-lodge physical shares for transfer during the special window period to the Company's Registrar and Transfer Agents, **Mukeshwari Datamatics Pvt. Ltd.** Unit: Albert David Limited, 23, R N Maheshwari Road, 5th Floor, Kolkata - 700 001. E-mail: [compliance@mdpcorporate.com](mailto:compliance@mdpcorporate.com), to avail the benefit of this facility.

For Albert David Limited  
Sd/-  
Lalit Lohia  
Company Secretary & Compliance Officer

Date : March 10, 2026  
Place : Kolkata



## पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय

**एन.एफ.सी. विज्ञान विहार, निकट विवेक विहार थाना, दिल्ली- 110092**

**फर्मों के पंजीकरण (2026-27)**

विद्यालय स्टेशनरी, प्रलेखन/बैलन/लाइन कोर्ड/फोटोग्राम्री एवं विधियोग्राम्री, टैट का सामान (किरारो पर), कैंटीन, बिजली एवं प्लम्बिंग आइटम एवं वार्षिक रख-रखाव (including AC/RO/AquaGuard), सिविल Work, खेल-कूद सामग्री, प्रयोगशाला (Labs) सामग्री, यथा-यथ, केम्री ड्रम (किरारो पर), Income Tax/TDS/GST filing हेतु, फर्निचर की मरम्मत हेतु एवं Internet इत्यादि की सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित पंजीकृत एवं अनुभवी फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं से वैध जीएसटी आदि की फर्मों से वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन (आपनी फर्म के Letter Head पर) सभी दस्तावेजों (GST/PAN इत्यादि) के साथ, विज्ञापन प्रकाशित होने से 21 दिन के अन्दर 'केवल स्प्रीड पोस्ट/पंजीकृत डाक' द्वारा आमंत्रित करता है।

<b>आईएफएल फाइनेस लिमिटेड</b> (पूर्व में आईएफएल हाइड्रिस फाइनेस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)
<b>स्वयं नीलामी सूचना</b>
पंजीकृत कार्यालय: <b>प्ले-16, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085</b>   CIN: <b>U65910DL2015PLC285284</b>
एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए खालों में गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों, जिन पर ग्राहकों ने भुगतान करने में चूक की है, का सार्वजनिक नीलामी करनाल शाखा, आईएफएल गोल्ड लोन ,एएससीओ सं. 209, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 12, कमांसिंवल कॉम्प्लेक्स, कनकाल-132001 में 30-03-2026 को सुबह 10.00 बजे से आयोजित करने का प्रस्ताव है।
<b>कनकाल शाखा:</b> KNL1009000010449
यदि किसी कानकाल नीलामी उठी दिन पूरी नहीं हो पाती है, तो इसे 31-03-2026 को उठी प्ते पर आयोजित किया जाएगा।
<b>बोलीदाताओं के लिए निर्माण</b>
इच्छुक बोलीदाताओं को रु. 1,00,000/- इंफर्माटी पत्रिका के रूप में जमा करना होगा, साथ ही, बोलीदाता को 28-03-2026 तक अनिवार्य रूप से इंफर्माटी जमा करनी होगी। बोलीदाताओं के पास वैध पहचान पत्र, पैन कार्ड और जीएसटी पाम्पचर होना अनिवार्य है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया 8595010101 पर संपर्क करें।
<b>अधिकृत अधिकारी</b> आईएफएल फाइनेस लि.

<b>आईएफएल फाइनेस लिमिटेड</b> (पूर्व में आईएफएल हाइड्रिस फाइनेस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)
<b>स्वयं नीलामी सूचना</b>
पंजीकृत कार्यालय: <b>प्ले-16, पहली मंजिल, प्रशांत विहार, दिल्ली-110085</b>   CIN: <b>U65910DL2015PLC285284</b>
एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए खालों में गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों, जिन पर ग्राहकों ने भुगतान करने में चूक की है, का सार्वजनिक नीलामी करनाल शाखा, आईएफएल गोल्ड लोन ,एएससीओ सं. 209, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर 12, कमांसिंवल कॉम्प्लेक्स, कनकाल-132001 में 30-03-2026 को सुबह 10.00 बजे से आयोजित करने का प्रस्ताव है।
<b>कनकाल शाखा:</b> KNL10060000076700, KNL10090000079095, KNL100900000106753, KNL10090000093930, KNL10090000103562
यदि किसी कानकाल नीलामी उठी दिन पूरी नहीं हो पाती है, तो इसे 31-03-2026 को उठी प्ते पर आयोजित किया जाएगा।
<b>बोलीदाताओं के लिए निर्माण</b>
इच्छुक बोलीदाताओं को रु. 1,00,000/- इंफर्माटी पत्रिका के रूप में जमा करना होगा, साथ ही, बोलीदाता को 28-03-2026 तक अनिवार्य रूप से इंफर्माटी जमा करनी होगी। बोलीदाताओं के पास वैध पहचान पत्र, पैन कार्ड और जीएसटी पाम्पचर होना अनिवार्य है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया 8595010101 पर संपर्क करें।
<b>अधिकृत अधिकारी</b> आईएफएल फाइनेस लि.

<p><b>विज्ञापन संख्या: 35/2026</b></p> <p><b>भारत सरकार</b></p> <p><b>लोक उद्यम चयन बोर्ड</b></p> <p><b>ब्रह्मपुर वेली फाटिलाहजर कार्पोरेशन लिमिटेड (बीथीएफसीएल)</b></p> <p>में</p> <p><b>निदेशक (अनामित)</b></p> <p><b>पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।</b></p> <p><b>अवेद्यकों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि</b></p> <p><b>27 मार्च , 2026 (15.00 बजे तक) है</b></p> <p><b>नोटस अधिकांरियों द्वारा आवेदनों को लोक उद्यम चयन बोर्ड में अवेपित करने की अंतिम तिथि</b></p> <p><b>6 अप्रैल, 2026 (12.00 बजे तक) है</b></p> <p><b>जानकारी के लिए वेबसाइट</b></p> <p><b>https://pesb.gov.in</b></p> <p><b>में लॉग इन करें।</b></p>
---

<p><b>सार्वजनिक सूचना</b></p> <p>मार्तीय रिजर्व बैंक (RBI) की अधिसूचना संख्या RBI/2022-23/80.CO.DPSS.POLC.No.S-590/02-14-006/2022-23 दिनांक 4 सुनई, 2022 और मास्टर निदेश RBI/DPSS/2021-22/22.CO.DPSS.POLC.No.S-479/02.14.006/2021-22 दिनांक 27 दिसंबर, 2024 को मंजूरान अंतर्गत के अनुसार सार्वजनिक सूचना-गैर-बैंक सार्वजनिक सेवा उपकरण (PSSOs) को निवेशक के अधिग्रहण/अधिग्रहण और गैर-बैंक सार्वजनिक सेवा उपकरण (PSO) की मूनातन प्रणाली गतिविधि की निवेश/हस्तांतरण के मामले में पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता, जैसा कि संशोधित किया गया है, सेवारत के अन्तर्गत अधिग्रहण के संस्कार में।</p> <p><b>ट्रायो टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ("ट्रायोटेक")</b></p> <p>सीआईएन: U71400DL2009PT186516</p> <p>आरबीआई पंजीकरण संख्या, सीओए संख्या 99/2017 (फॉर्मबीआर कार्यालयों के रूप में)</p> <p>पंजीकृत कार्यालय: 12बी मॉडल, नेहरू प्लेस रोड, सान नगर, पार्क के सामने, नई दिल्ली – 110065</p> <p>ट्रायोटेक और पेटे: legal@triotech.co.in</p> <p>और</p> <p><b>पेटे प्राइवेट लिमिटेड ("पेटे")</b></p> <p>सीआईएन: U82990KA2021PTC148390</p> <p>पंजीकृत कार्यालय: नंबर 7, अग्रम मुख्य सड़क, सेक्टर 6, एएफआर लेआउट, बैंगलोर, कर्नाटक-560102, भारत</p> <p>ईमेल आईडी: compliance@pehe.co.in</p> <p>यह सार्वजनिक सूचना आवश्यक रूप से सेवारत के अधिग्रहण के संबंध में ट्रायोटेक और पेटे द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जा रही है।</p> <p>ट्राइ ओ टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी या ट्राइ ओ टेक) अपनी अधिनियम, 1956 के अध्यानों के तहत निर्माणित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका कॉर्पोरेट पंजीकरण संख्या (CIN: U71400DL2009PT186516) है। कंपनी का निर्माण 9 जनवरी, 2009 को हुआ था और इसका पंजीकृत कार्यालय 12बी मॉडल, नेहरू प्लेस रोड, सान नगर, पार्क के सामने, नई दिल्ली – 110065 में स्थित है। कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से गैर-बैंक मूनातन उपकरण (PPI) जारी करने और संशोधित करने के लिए श्रेणी प्राधिकरण प्राप्त है। इतनाचन में, ट्राइ ओ टेक, पेटे प्राइवेट लिमिटेड ("पेटे") या "मूल कंपनी" की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में कार्यरत है।</p> <p>प्रस्तावित लेनदेन के कारण</p> <p>पेटे निवेशकों से पूंजी जुटाने का प्रस्ताव कर रही है (प्रस्तावित लेनदेन), जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की शेयरधारकों में अग्रस्थ परिवर्तन होगा। इस लेनदेन में, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से अनुमोदन पर संलग्न CO.DPSS.AUTHN.No.S12/9/02-27-004/2025/26 dated February 25, 2026 दिनांक 25 फरवरी, 2026 के मसाले में अनुमोदित प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया है।। प्रस्तावित लेनदेन का उद्देश्य पेटे को निवेशक रजिस्ट्री और सार्वजनिक वित्तालय विस्तार उपकरणों को संशोधित देना है। इस संबंध में किसी भी सार्वजनिक और/या प्रकाशित के लिए कंपनी की कंपनी संबंधित सूची सूचना खंड/संशोधन और पेटे के निदेशक श्री संजय आनंद जैन से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या ईमेल के माध्यम से अग्रम richa.khandelwal@triotech.co.in और compliance@pehe.co.in पर संपर्क किया जा सकता है। एके कुशाग्र इन सूचना की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्रत्युत् की जाती चाहिए।</p> <p>सांग, निवेशक आवश्यकताओं के अनुमोदन में, कंपनी द्वारा प्रस्तावित लेनदेन के बारे में आम जनता को सूचित करने के लिए यह सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है।</p> <p>स्थान: नई दिल्ली</p> <p>दिनांक: 11.03.2026</p>
---

<p><b>केन्द्रीय विद्यालय</b></p> <p><b>एन.टी.पी.सी., बदरपुर, नई दिल्ली-44</b></p> <p><b>वेबसाइट</b>—https://badarpurpntpc.kvs.ac.in, ईमेल—kvnpcbadarpur@kvsrodelhi.in</p> <p><b>वर्ष 2026–27 फर्मों के पंजीकरण हेतु आवेदन</b></p> <p>केन्द्रीय विद्यालय एनटीपीसी बदरपुर नई दिल्ली में वित्तीय वर्ष 2026–27 में निम्नालिखित कार्य/ सामग्री की आपूर्ति हेतु इच्छुक फर्मों द्वारा पंजीकरण हेतु मुरखबंध आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।</p> <p>सफाई सामग्री, वाटर क्लूर व आर ओ की एएम.सी (सामान सहित) अग्नि सुरक्षा यंत्र/ रिफिलिंग, कैंटीन, AMC वित E-Classrooms (Interactive Boards, Visualizers, LCD Projector), फर्निचर (लकड़ी, स्टील एवं प्लास्टिक), ऑफिस स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एयर कंडीशनर, वैज्ञानिक उपकरण (स्पर्शोज्य/ गैर-उपभोज्य), दूर्य श्रवण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, फोटोकॉपीयर मशीनफोटोकॉपी प्रति पेज/मशीन किराया, खेल कूद सामग्री, टैट हाउस एवं मंच साज सज्जा, परिवहन (Transportation), विद्यालय में बिजली के कार्य हेतु, बिजली का सामान, कम्प्युटर/सीसीटीवी और इसकी AMC, तथा विद्यालय भवन की मरम्मत तथा निर्माण सामग्री (Maintenance &amp; Repair), Taxi/Buses for hiring कैंटीन, Student Medical Checkup, Flex Board/ Banner Printing Writing Sun Board हेतु इच्छुक फर्म अपना आवेदन दिनांक 31.03.2026 तक आवश्यक दस्तावेज तथा पैन नंबर, जीएसटी, सर्विस टेक्स, लाइसेंस FSSI सर्टिफिकेट इत्यादि की च्चप्रमाणित प्रति पंजीकरण प्रपत्र (Registration Proforma) के साथ संलग्न कर पंजीकृत डाक अथवा विद्यालय में आकर आवेदन करें। लिफाफे के ऊपर "फर्म पंजीकरण हेतु" एवं संबंधित कार्य का नाम लिखा होना आवश्यक है।</p> <p>नोट— 1. पंजीकरण प्रपत्र (Registration Proforma) विद्यालय से प्राप्त अथवा विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।</p> <p>2. वर्तमान सरकारी नियमानुसार GeM से खरीद को प्राथमिकता दी जाती है एवं किसी तरह के भवन मरम्मत व् निर्माण के लिए NBCC Approved Contractor की लिस्ट से लिए जायेंगे, फिर भी विशेष परिस्थिति में खरीद के लिए फर्म रजीस्ट्रेशन की मांग है।</p> <p><b>प्राचार्य</b></p>
---

<p><b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक</b></p> <p>आपकी उम्मीद का खाता</p> <p>(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)</p> <p><b>राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण इलाहाबाद खंडपीठ, प्रयागराज के समक्ष</b></p> <p><b>कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में</b></p> <p>और</p> <p><b>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों के मामले में</b></p> <p>और</p> <p><b>उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ("अंतरक कंपनी" या "आवेदक कंपनी 1") के मामले में</b></p> <p>और</p> <p><b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("अंतरिती कंपनी" या "आवेदक कंपनी 2") के मामले में</b></p> <p>और</p> <p><b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के साथ उत्कर्ष कोरइन्वेस्टलिमिटेड के समामेलन की योजना के मामले में</b></p> <p><b>सीए (सीएए) संख्या 37/एएलडी/2025</b></p>
---

<p><b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड</b></p> <p><b>सीआईएन: L65992UP2016PLC082804</b></p> <p>कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी,</p> <p><b>पंजीकृत कार्यालय:</b> उत्कर्ष टॉवर, एनएच -31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर, काजी रोड, हरहुआ, चाराणसी, पिन - 221105, उत्तर प्रदेश</p> <p>इसका प्रतिनिधित्व इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता – श्री मुथैया गणपति द्वारा</p> <p><b>दूरभाष संख्या:</b> +91- 542-6135000 कईमेल: shareholders@utkarsh.bank</p>
---

### उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अप्रातिभूत लेनदारों का बैठक बुलाने के लिए नोटिस और नोटिस का विज्ञापन

- एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद खंडपीठ, प्रयागराज ('एनसीएलटी'), ने 11 फरवरी, 2026 के एक आदेश ('एनसीएलटी आदेश') द्वारा कंपनी (समझौते, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 ('सीएए नियम') और कंपनी अधिनियम और सीएए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी अधिनियम) की धारा 230 से 232 के अनुसार उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ('अंतरक कंपनी') के साथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच समामेलन की योजना (इसके पश्चात 'योजना' के रूप में संदर्भित) पर विचार करने, और यदि उपयुक्त समझा जाए तो अनुमोदन करने के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ('कंपनी'/बैंक'/अंतरिती कंपनी') के अप्रातिभूत लेनदारों की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
- एनसीएलटी आदेश के अनुसरण में और जैसा कि उसमें आगे निर्देशित किया गया है, एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि अंतरिती कंपनी के अप्रातिभूत लेनदारों की एक बैठक (इसके बाद 'बैठक' के रूप में संदर्भित) शनिवार, 28 मार्च, 2026 को दोपहर 3.30 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो समय-समय पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्रों सहित लागू कानूनों के अनुपालन में होगी और उक्त बैठक में अप्रातिभूत लेनदारों से भाग लेने का अनुरोध है।
- अंतरिती कंपनी ने ईमेल के माध्यम से बैठक की सूचना दिनांक 24 फरवरी, 2026 और नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 230(3), 232(1) और (2) और 102 के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण और नोटिस के सूचकांक में उल्लिखित दस्तावेज (सामूहिक रूप से 'नोटिस और अनुलगनक' के रूप में संदर्भित) 24 फरवरी, 2026 को अंतरिती कंपनी के उन अप्रातिभूत लेनदारों को जिनके नाम रविवार, 30 नवंबर, 2025 तक अप्रातिभूत लेनदारों की सूची में दर्ज हैं, और जिनके ई-मेल पते उक्त तिथि को अंतरिती कंपनी/संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, भेज दिया है। नोटिस की भौतिक प्रतियां उन अप्रातिभूत लेनदारों को भेजी जा रही हैं जिन्होंने एनसीएलटी के आदेश में निर्दिष्ट मोड में अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है। इस नोटिस और अनुलगनकों की एक प्रति अंतरिती कंपनी की वेबसाइट https://www.utkarsh.bank.in/investors पर , बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइटों और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी होस्ट की जाएगी।
- इस बैठक की तिथि तक, नोटिस और/या अनुलगनक की प्रतियां पंजीकृत कार्यालय में बैठक में भाग लेने के हकदार किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके लिए की गई मांग पर 1 (एक) दिन के भीतर नि: शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।
- यह देखते हुए कि बैठक एनसीएलटी के आदेश के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में अप्रातिभूत लेनदारों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना आयोजित की जा रही है, अप्रातिभूत लेनदारों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उक्त बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- एनसीएलटी ने डॉ. संतोष कुमारी (ईमेल आईडी: sk.kumar7916@gmail.com) को उक्त बैठक के अध्यक्ष के रूप में और श्री अनंत प्रकाश (ईमेल: anantprakash.adv@gmail.com) को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। एनसीएलटी ने बैठक के लिए श्री सुमित अग्रवाल (ईमेल आईडी: agrsumit@yahoo.co.in) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
- अप्रातिभूत लेनदारों के पास अपने वोट: (ए) वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठक में उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से (बी) निम्नलिखित अवधि के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा वोट डालकर योजना के अनुमोदन के लिए संकल्प पर मतदान करने की सुविधा और विकल्प होगा:

<p><b>रिमोट ई-वोटिंग अवधि</b></p>	
<b>रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारंभ</b>	<b>बुधवार, 25 मार्च, 2026 को 09:00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.</b>
<b>रिमोट ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति</b>	<b>शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को 05:00 बजे अप. भा.मा.स.</b>

- वीसी और ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया उक्त नोटिस का हिस्सा है, और अप्रातिभूत लेनदारों से अनुरोध है कि वे इसे पढ़ें। ई-वोटिंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं:

ए) बैठक के दौरान उन अप्रातिभूत लेनदारों के लिए ई-वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया था। जिन अप्रातिभूत लेनदारों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग लेने और भाग लेने के हकदार होंगे, लेकिन बैठक के दौरान फिर से मतदान नहीं करेंगे। नोटिस में उल्लिखित कार्य से संबंधित चर्चा समाप्त होने के बाद ई-वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद यह सुविधा 30 मिनट के लिए उपलब्ध होगी।

बी) एक अप्रातिभूत लेनदार का मतदान अधिकार 30 नवंबर, 2025 तक कारोबार की समाप्ति पर अंतरिती कंपनी में उनके वकया देयता के अनुपात में होगा।

सी) इस योजना को अंतरिती कंपनी के अप्रातिभूत लेनदारों द्वारा अनुमोदित माना जाएगा यदि नोटिस में उल्लिखित प्रस्ताव को कंपनी अधिनियम की धारा 230 - 232 के प्रावधानों के संदर्भ में रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग द्वारा अप्रातिभूत लेनदारों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, उपरोक्त के रूप में अप्रातिभूत लेनदारों द्वारा अनुमोदित योजना के बाद, एनसीएलटी के बाद के अनुमोदन के अधीन होगी।

ई-वोटिंग का परिणाम 31 मार्च, 2026 तक घोषित किया जाएगा, और वह, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, पंजीकृत कार्यालय में, अंतरिती कंपनी की वेबसाइट (https://www.utkarsh.bank.in.), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com); और ईवोटिंग एजेंसी, नेशनल सिन्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (www.evoting.nsdl.com) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

डी) अप्रातिभूत लेनदारों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल www.evoting.nsdl.com m के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या कॉल करें: 022 - 4886 7000 या evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेजें।

<p><b>एनसीएलटी, इलाहाबाद पीठ, प्रयागराज के आदेशानुसार</b></p> <p>हस्ता./-</p> <p><b>मुथैया गणपति</b></p> <p><b>अधिकृत प्रतिनिधि</b></p> <p><b>स्थान<span> </span>: मुंबई</b></p>	<p><b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड</b></p>
--	--

<p><b>उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड</b></p> <p>कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में इलाहाबाद में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण इलाहाबाद पीठ के समक्ष</p> <p>और</p> <p>कंपनी अधिनियम की धारा 230 से 232 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के मामले में</p> <p>और</p> <p><b>उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड के मामले में</b></p> <p>और</p> <p><b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के मामले में</b></p> <p>और</p> <p><b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के मामले में</b></p>
---

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंकलिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के साथ उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड के समामेलन की योजना के मामले में

(सीएए) संख्या 37/2025

## उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड

सीआईएन: **U65191UP1990PLC045609**

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी,

**पंजीकृत कार्यालय:** एस-24/1-2, चौथी मंजिल, महावीर नगर, अर्दली बाजार,

महावीर मंदिर के पास, चाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत - 221002

इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता – श्री नीराज कुमार तिवारी द्वारा प्रतिनिधित्व

**दूरभाष संख्या:** +91-9598069737 I ईमेल: secretarial@utkarshcoreinvest.com

<p><b>उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों (सार्वजनिक शेयरधारकों सहित) की बैठक बुलाने के लिए नोटिस और विज्ञापन</b></p>
---

- एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद खंड, इलाहाबाद ('एनसीएलटी') ने, 11 फरवरी, 2026 के एक आदेश ('एनसीएलटी आदेश') द्वारा, उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ('अंतरक कंपनी') और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ('अन्तरिती कंपनी') और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच समामेलन की योजना (इसके बाद 'योजना' के रूप में संदर्भित) पर विचार करने के उद्देश्य से, और यदि उचित समझा जाए, तो अनुमोदन करने के उद्देश्य से कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 ('सीएए नियम') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('कंपनी अधिनियम') की धारा 230 से 232 और कंपनी अधिनियम और सीएए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ('कंपनी'/अन्तरक कंपनी') के इक्विटी शेयरधारकों (सार्वजनिक शेयरधारकों सहित) की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
- एनसीएलटी आदेश के अनुसरण में और जैसा कि आगे निर्देशित किया गया है, यह एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों सहित लागू कानूनों के अनुपालन में अन्तरक कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों (सार्वजनिक शेयरधारकों सहित) की एक बैठक शनिवार, 28 मार्च, 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से आयोजित की जाएगी (इसके बाद 'बैठक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और उक्त अप्रातिभूत लेनदारों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।
- अन्तरक कंपनी ने नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 230(3), 232(1) और (2) और 102 के तहत आवश्यक ईमेल के माध्यम से 24 फरवरी, 2026 को बैठक की सूचना और व्याख्यात्मक विवरण और नोटिस के सूचकांक (सामूहिक रूप से 'नोटिस और अनुलगनक' के रूप में संदर्भित) में उल्लिखित दस्तावेज, 24 फरवरी, 2026 को अन्तरक कंपनी के उन इक्विटी शेयरधारकों को जिनके नाम शुक्रवार 20 फरवरी, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, और जिनके ई-मेल पते उक्त तिथि को अन्तरक कंपनी/संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, भेज दिया है। इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिन्होंने अपना ई-मेल पता अन्तरक कंपनी/संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं किया है, इस बैठक की सूचना, अनुलगनक के साथ अन्तरक कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। इस नोटिस और अनुलगनकों की एक प्रति अन्तरक कंपनी की वेबसाइट www.utkarshcoreinvest.com और ई-वोटिंग एजेंसी अर्थात नेशनल सिन्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी होस्ट की जाएगी।
- इस बैठक की तिथि तक, नोटिस और/या अनुलगनक की प्रतियां पंजीकृत कार्यालय में बैठक में भाग लेने के हकदार किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके लिए की जा रही मांग पर 1 (एक) दिन के भीतर नि: शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।
- यह देखते हुए कि बैठक एनसीएलटी के आदेश के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की धारा 105 के तहत इक्विटी शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना आयोजित की जा रही है, अत: इक्विटी शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उक्त बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- एनसीएलटी ने उक्त बैठक के अध्यक्ष के रूप में डॉ. संतोष कुमारी (ईमेल आईडी: sk.kumar7916@gmail.com) और श्री अनंत प्रकाश (ईमेल: anantprakash.adv@gmail.com) को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। एनसीएलटी ने बैठक के लिए श्री सुमित अग्रवाल (ईमेल आईडी: agrsumit@yahoo.co.in) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
- इक्विटी शेयरधारकों के पास इस अवधि के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा (क) वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठक में उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम (ख) नीचे उल्लिखित अवधि के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर मतदान करने की सुविधा और विकल्प होगा:

<p><b>रिमोट ई-वोटिंग अवधि</b></p>	
<b>रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारंभ</b>	<b>बुधवार, मार्च 25, 2026 को 09:00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.</b>
<b>रिमोट ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति</b>	<b>शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को 05:00 बजे अप. भा.मा.स.</b>

- वीसी और ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया उक्त नोटिस का हिस्सा है, और इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इसे पढ़ें। ई-वोटिंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं:

क) बैठक के दौरान उन इक्विटी शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया था। इक्विटी शेयरधारकों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग लेने और भाग लेने के हकदार होंगे, लेकिन बैठक के दौरान फिर से मतदान नहीं करेंगे। नोटिस में उल्लिखित कार्य से संबंधित चर्चा समाप्त होने के बाद ई-वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद यह सुविधा 30 मिनट के लिए उपलब्ध होगी।

ख) किसी सदस्य/लाभभोगी स्वामी (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि, यानी शुक्रवार 20 फरवरी, 2026 को चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

ग) कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है या वह सदस्य जिसने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वह एनएसडीएल को अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

घ) इस योजना को हस्तांतरणकर्ता कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित माना जाएगा यदि नोटिस में उल्लिखित प्रस्ताव को कंपनी अधिनियम की धारा 230 - 232 के प्रावधानों के संदर्भ में रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस योजना पर कार्रवाई केवल तभी की जाएगी जब योजना के अनुमोदन के लिए उपयुक्त संकल्प के पक्ष में सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा डाले गए मतों की संख्या (रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से) इसके खिलाफ सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो।

इसके अलावा, उपरोक्त के रूप में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित योजना के बाद, एनसीएलटी के बाद के अनुमोदन के अधीन होगी।

ई-वोटिंग का परिणाम 31 मार्च, 2026 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा, और इसे संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, पंजीकृत कार्यालय में, अन्तरक कंपनी की वेबसाइट https://www.utkarshcoreinvest.com पर और ई-वोटिंग एजेंसी, नेशनल सिन्क्योरिटीज डि

## शेष

**इंडिगोके...**—से एयरलाइन को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, बल्कि सरकारी स्तर पर भी इंडिगो की कड़ी जांच की गई थी। बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू एयरलाइन को और से मंगलवार को जारी बयान में साफ किया गया है कि पीटर एल्बर्स का इस्तीफा 10 मार्च 2026 से ही प्रभावी हो गया है। इस चुनौतीपूर्ण समय में कंपनी को स्थिरता प्रदान करने के लिए इंडिगो के मौजूदा प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया को यह अहम कमान सौंपी गई है। **केन्द्रने जल...**में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 3.59 लाख करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता शामिल है। अखिनी वैष्णव ने बताया कि 'सुजलाम भारत' नामक एक समान राष्ट्रीय

<b><span><span> </span><span> </span></span>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक</b>
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
<div><b>राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण इलाहाबाद खंडपीठ, प्रयागराज के समक्ष</b></div>
<b>कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में</b>
<b>और</b>
<b>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों के मामले में</b>
<b>और</b>
<b>उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ("अंतरक कंपनी" या "आवेदक कंपनी 1") के मामले में</b>
<b>और</b>
<b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("अंतरिती कंपनी" या "आवेदक कंपनी 2") के मामले में</b>
<b>और</b>
<b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के साथ उत्कर्ष कोरइन्वेस्टलिमिटेड के समामेलन की योजना के मामले में</b>
<b>सीए (सीए) संख्या 37/एएलडी/2025</b>
<span></span>
<b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड</b>
<b>सीआईएन: <span>L65992UP2016PLC082804</span></b>
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी,
पंजीकृत कार्यालय: उत्कर्ष टॉवर, एनएच –31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, पिन – 221105, उत्तर प्रदेश
इसका प्रतिनिधित्व इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता – श्री मुथैया गणपति द्वारा
दूरभाष संख्या: +91– 542–6135000 ईमेल: shareholders@utkarsh.bank
<b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक बुलाने के लिए नोटिस और नोटिस का विज्ञापन</b>

- एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद खंडपीठ, प्रयागराज ('एनसीएलटी'), ने 11 फरवरी, 2026 के एक आदेश ('एनसीएलटी आदेश') द्वारा कंपनी (समझौते, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 ('सीए नियम') और कंपनी अधिनियम और सीएए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी अधिनियम) की धारा 230 से 232 के अनुसार उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ('अंतरक कंपनी') के साथ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच समामेलन की योजना (इसके परश्चात 'योजना' के रूप में संदर्भित) पर विचार करने, और यदि उपयुक्त समझा जाए तो अनुमोदन करने के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ('कंपनी 1'/बैंक 1/अंतरिती कंपनी') के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
- एनसीएलटी आदेश के अनुसरण में और जैसा कि उसमें आगे निर्देशित किया गया है, एतद्द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि अंतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक (इसके बाद 'बैठक' के रूप में संदर्भित) शनिवार, 28 मार्च, 2026 को दोपहर 12.30 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो समय-समय पर कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्रों सहित लागू कानूनों के अनुपालन में होगी और उक्त बैठक में इक्विटी शेयरधारकों से भाग लेने का अनुमति है।
- अंतरिती कंपनी ने ईमेल के माध्यम से बैठक की सूचना दिनांक 24 फरवरी, 2026 और नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 230(3), 232(1) और (2) और 102 के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण और नोटिस के सूचकांक में उल्लिखित दस्तावेज (सामूहिक रूप से 'नोटिस और अनुलग्नक' के रूप में संदर्भित) 24 फरवरी, 2026 को अंतरिती कंपनी के उन इक्विटी शेयरधारकों को जिनके नाम शुक्रवार, 20 फरवरी, 2026 तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, और जिनके ई-मेल पते उक्त तिथि को अंतरिती कंपनी/संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, भेज दिया है। नोटिस की भौतिक प्रतियां उन इक्विटी शेयरधारकों को भेजी जा रही हैं जिन्होंने एनसीएलटी के आदेश में निर्दिष्ट मोड में अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है। इस नोटिस और अनुलग्नकों की एक प्रति अंतरिती कंपनी की वेबसाइट www.utkarsh.bank.in/investors पर , बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइटों और ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी होस्ट की जाएगी।
- इस बैठक की तिथि तक, नोटिस और/या अनुलग्नक की प्रतियां पंजीकृत कार्यालय में बैठक में भाग लेने के हकदार किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके लिए की गई मांग पर 1 (एक) दिन के भीतर नि: शुल्क प्राप्त की जा सकती हैं।
- यह देखते हुए कि बैठक एनसीएलटी के आदेश के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की धारा 105 के तहत इक्विटी शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना आयोजित की जा रही है, इक्विटी शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उक्त बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- एनसीएलटी ने डॉ. संतोष कुमारी (ईमेल आईडी: sk.kumar7916@gmail.com) को उक्त बैठक के अध्यक्ष के रूप में और श्री अनंत प्रकाश (ईमेल: anantprakash.adv@gmail.com) को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। एनसीएलटी ने बैठक के लिए श्री सुमित अग्रवाल (ईमेल आईडी: agrsumit@yahoo.com) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
- इक्विटी शेयरधारकों के पास अपने वोट: (ए) वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठक में उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से (बी) निम्नलिखित अवधि के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा वोट डालकर योजना के अनुमोदन के लिए संकल्प पर मतदान करने की सुविधा और विकल्प होगा:

रिमोट ई-वोटिंग अवधि	
<b>रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारंभ</b>	<b>बुधवार, 25 मार्च, 2026 को 09:00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.</b>
<b>रिमोट ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति</b>	<b>शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को 05:00 बजे अप. भा.मा.स.</b>
8. वीसी और ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया उक्त नोटिस का हिस्सा है, और इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इसे पढ़ें। ई-वोटिंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं:ए) बैठक के दौरान उन इक्विटी शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया था। जिन इक्विटी शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग लेने और भाग लेने के हकदार होंगे, लेकिन बैठक के दौरान फिर से मतदान नहीं करेंगे। नोटिस में उल्लिखित कार्य से संबंधित चर्चा समाप्त होने के बाद ई-वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद यह सुविधा 30 मिनट के लिए उपलब्ध होगी।	
बी) बैंक के प्रमोटर यानी उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड को छोड़कर किसी सदस्य / लाभभोगी स्वामी (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारिता के मामले में) का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि, यानी 21 मार्च, 2026 को प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।	
सी) कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद बैंक का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है या जिस सदस्य ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वह एनएसडीएल को अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से उपयुक्तता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।	
डी) इस योजना को अंतरिती कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित माना जाएगा यदि नोटिस में उल्लिखित संकल्प को कंपनी अधिनियम की धारा 230 – 232 के प्रावधानों के अनुसार, बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश व्यक्तिों द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, सेबी मास्टर परिपत्र नंबर एएसई/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पीसीआईआर/2023/93 दिनांक 20 जून, 2023 (जिसमें 23 नवंबर 2021 के पूर्ववर्ती सेबी मास्टर परिपत्र नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/डीआईएल1/सीआईआर/पी/2021/665 को रद्द कर दिया) ("सेबी मास्टर परिपत्र") के संदर्भ में, योजना पर तभी कार्रवाई की जाएगी जब योजना के अनुमोदन के लिए उपरोक्त संकल्प के पक्ष में प्रबलित शेयरधारकों द्वारा (बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से) डाले गए वोटों की संख्या इसके खिलाफ पब्लिक शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों की संख्या से अधिक हो। इसके अलावा, उपरोक्त के रूप में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित योजना के बाद, एनसीएलटी के बाद के अनुमोदन के अधीन होगी।	
ई-वोटिंग का परिणाम 31 मार्च, 2026 तक घोषित किया जाएगा, और वह, संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, पंजीकृत कार्यालय में, अंतरिती कंपनी की वेबसाइट (https://www.utkarsh.bank.in), बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com); और इवोटिंग एजेंसी, नेशनल सिन्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) (www.evoting.nsdl.com) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।	
डी) किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।	

<b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड</b>	<b>हस्ता./–</b>	<b>मुथैया गणपति</b>
		<b>अधिकृत प्रतिनिधि</b>
<b>तिथि<span> </span>: 11.03.2026</b>		<b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड</b>
<b>स्थान<span> </span>: मुम्बई</b>		

डिजिटल ढांचा स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत प्रत्येक गांव को एक अद्वितीय सुजल गांव या सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जाएगी, जो खोते से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण करेगी। केंद्र सरकार ने दिश्री-एनसीएर के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। **कोविड वैक्सिन...** नहीं है।सुप्रोिम कोर्ट ने रचना गंगू और वेणुगोपालन गोविंदन को 2021 में दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटियों की मौत कोविड वैक्सिन के साइड इफेक्ट्स के कारण हुई थी।पिछले साल 13 नवंबर को इन याचिकाओं पर लंबी बहस हुई थी। **इरानका...**इरान ऊर्जा अक्सररचना को भी निशाना बना रहा है और होमुंज जलडमरूमध्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है जिससे तेल की कीमतों आसमान छूती लगीं हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक

के अनुसार 'ब्रेंट क्रूड' की कीमत सोमवार को बढ़कर लगभग 120 डालर तक पहुंच गयी। हालांकि बाद में कीमत में थोड़ी नरमी आयी और मंगलवार को भी यह लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल पर थी जो 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के समय की तुलना में लगभग 24 प्रतिशत अधिक है। **जो नेहरू...**गांधी वहां बेटी हैं और हंस रही हैं। यदि उन्हें विश्वास का नेता बनाया गया होता, तो प्रदर्शन बेहतर होता। कम से कम वह सदन में बेजोती, सुनौती और मुस्कुरातीं रिजिज् के बयान के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं हंस रही थी। मैं यह साफ करना चाहती हुं कि मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि जिन नेहरूजी की वे दिन-रात आलोचना करते हैं और उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में नेहरू जी का हवाला दिया। **भारती...**को प्रमुख एयरलाइंस ने टी टिकटों के दाम बढ़ा दिए हैं और कई कंपनियां अपने विमानों को ग्राइंडेड करने का प्लान भी बना रही हैं। जानकारों का कहना

<b><span><span> </span><span> </span></span>उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड</b>
<b>कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में इलाहाबाद में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण इलाहाबाद पीठ के समक्ष</b>
<b>और</b>
<b>कंपनी अधिनियम की धारा 230 से 232 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के मामले में</b>
<b>और</b>
<b>उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड के मामले में</b>
<b>और</b>
<b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के मामले में</b>
<b>और</b>
<b>उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के साथ उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड के समामेलन की योजना के मामले में</b>
<b>(सीएए) संख्या 37/2025</b>
<b>उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड</b>
<b>सीआईएन: <span>U65191UP1990PLC045609</span></b>
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी,
पंजीकृत कार्यालय: एस-24/1-2, चौथी मंजिल, महावीर नगर, अर्दली बाजार, महावीर मंदिर के पास, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत – 221002
इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता – श्री नीरज कुमार तिवारी द्वारा प्रतिनिधित्व
दूरभाष संख्या: +91-95980679737 ई मेल: secretarial@utkarshcoreinvest.com
<b>उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों (सार्वजनिक शेयरधारकों सहित) की बैठक बुलाने के लिए नोटिस और विज्ञापन</b>

- एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद खंड, इलाहाबाद ('एनसीएलटी') ने, 11 फरवरी, 2026 के एक आदेश ('एनसीएलटी आदेश') द्वारा, उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ('अंतरक कंपनी') और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ('अन्तरिती कंपनी') और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच समामेलन की योजना (इसके बाद 'योजना' के रूप में संदर्भित) पर विचार करने के उद्देश्य से, और यदि उचित समझा जाए, तो अनुमोदन करने के उद्देश्य से कंपनी (समझौते, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 ('सीए नियम') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('कंपनी अधिनियम') की धारा 230 से 232 और कंपनी अधिनियम और सीएए नियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड ('कंपनी 1'/अन्तरक कंपनी') के इक्विटी शेयरधारकों (सार्वजनिक शेयरधारकों सहित) की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है।
- एनसीएलटी आदेश के अनुसरण में और जैसा कि आगे निर्देशित किया गया है, यह एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों सहित लागू कानूनों के अनुपालन में अन्तरक कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों (सार्वजनिक शेयरधारकों सहित) की एक बैठक शनिवार, 28 मार्च, 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से आयोजित की जाएगी (इसके बाद 'बैठक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।
- अन्तरक कंपनी ने नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 230(3), 232(1) और (2) और 102 के तहत आवश्यक कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों सहित लागू कानूनों के अनुपालन में अन्तरक कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों (सार्वजनिक शेयरधारकों सहित) की एक बैठक शनिवार, 28 मार्च, 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से आयोजित की जाएगी (इसके बाद 'बैठक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।
- अन्तरक कंपनी ने नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 230(3), 232(1) और (2) और 102 के तहत आवश्यक कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों सहित लागू कानूनों के अनुपालन में अन्तरक कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों (सार्वजनिक शेयरधारकों सहित) की एक बैठक शनिवार, 28 मार्च, 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') के माध्यम से आयोजित की जाएगी (इसके बाद 'बैठक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाता है।
- यह देखते हुए कि बैठक एनसीएलटी के आदेश के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की धारा 105 के तहत इक्विटी शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बिना आयोजित की जा रही है, अत: इक्विटी शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उक्त बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- एनसीएलटी ने उक्त बैठक के अध्यक्ष के रूप में डॉ. संतोष कुमारी (ईमेल आईडी: sk.kumar7916@gmail.com) और श्री अनंत प्रकाश (ईमेल: anantprakash.adv@gmail.com) को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। एनसीएलटी ने बैठक के लिए श्री सुमित अग्रवाल (ईमेल आईडी: agrsumit@yahoo.com) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
- इक्विटी शेयरधारकों के पास इस अवधि के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मतदान द्वारा (क) वीसी के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठक में उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम (ख) नीचे उल्लिखित अवधि के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर मतदान करने की सुविधा और विकल्प होगा:

रिमोट ई-वोटिंग अवधि	
<b>रिमोट ई-वोटिंग अवधि का प्रारंभ</b>	<b>बुधवार, मार्च 25, 2026 को 09:00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.</b>
<b>रिमोट ई-वोटिंग अवधि की समाप्ति</b>	<b>शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को 05:00 बजे अप. भा.मा.स.</b>
8. वीसी और ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया उक्त नोटिस का हिस्सा है, और इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इसे पढ़ें। ई-वोटिंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विवरण नीचे दिए गए हैं: <p>क) बैठक के दौरान उन इक्विटी शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया था। इक्विटी शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग लेने और भाग लेने के हकदार होंगे, लेकिन बैठक के दौरान फिर से मतदान नहीं करेंगे। नोटिस में उल्लिखित कार्य से संबंधित चर्चा समाप्त होने के बाद ई-वोटिंग शुरू होगी और उसके बाद यह सुविधा 30 मिनट के लिए उपलब्ध होगी।</p> <p>ख) किसी सदस्य/लाभभोगी स्वामी (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि, यानी शुक्रवार 20 फरवरी, 2026 को चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।</p> <p>ग) कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है या वह सदस्य जिसने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वह एनएसडीएल को अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।</p> <p>घ) इस योजना को हस्तारंणकर्ता कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों द्वारा अनुमोक्ति माना जाएगा यदि नोटिस में उल्लिखित प्रस्ताव को कंपनी अधिनियम की धारा 230 – 232 के प्रावधानों के संदर्भ में रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग द्वारा इक्विटी शेयरधारकों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश व्यक्तिों द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस योजना पर कार्रवाई इलेक्ट वभी की जाएगी जब योजना के अनुमोदन के लिए उपयुक्त संकल्प के पक्ष में सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा डाले गए मतों की संख्या (रिमोट ई-वोटिंग और बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से) इसके खिलाफ सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा डाले गए मतों की संख्या से अधिक हो।</p> <p>इसके अलावा, उपरोक्त के रूप में इक्विटी शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित योजना के बाद, एनसीएलटी के बाद के अनुमोदन के अधीन होगी।</p> <p>ई-वोटिंग का परिणाम 31 मार्च, 2026 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा, और इसे संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ, पंजीकृत कार्यालय में, अन्तरक कंपनी की वेबसाइट https://www.utkarshcoreinvest.com पर और ई-वोटिंग एजेंसी, नेशनल सिन्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।</p> <p>ड) किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं<span> </span>: 022 –4886 7000 पर या श्री कौशल कुमार को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं।</p>	

<b>उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड</b>	<b>हस्ता./–</b>	<b>नीरज कुमार तिवारी</b>
		<b>अधिकृत प्रतिनिधि</b>
<b>तिथि<span> </span>: 11.03.2026</b>		<b>उत्कर्ष कोरइन्वेस्ट लिमिटेड</b>
<b>स्थान<span> </span>: वाराणसी</b>		

है कि यह 1970 के दशक के बाद का सबसे बड़ा तेल संकट हो सकता है।एयरलाइंस का कहना है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने के कारण उनके पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है।हैपोर्ट के अनुसार, जेट फ्लाय यानी.इन्नर को कीमतों में हो रहे इन्फ्ले को देखते हुए भारत की एविएशन कंपनियां आने वाले दिनों में किराया और भी बढ़ सकती हैं। एयरलाइंस का कहना है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने के कारण उनके पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है।28 फरवरी को शुरू हुई ईरान-इजराइल जंग के बाद से तेल की सप्लाई चैन वही तरह प्रभावित हुई है। **केन्द्रके निर्देश...** और अनियमितताओं को रोकने के लिए नए गाँव सिलिंडर की बुकिंग के बीच प्रतीक्षा अवधि भी 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दी है। एलपीजी को आपूर्ति पर अस्स पड़ने को आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रेटोयलिम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रसोई गैस की संभावित कमी से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई।गुजरात सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर औद्योगिक गैस के उपयोग में 50 फीसदी की कटौती की है। राज्य के ऊर्जा मंत्री ऋषिकेश पटेल ने घरेलू एलपीजी वितरण में कोई बाधा न आने का आश्वासन दिया। **कई राज्योमें...**

जहूरी चीजों की जमाखोरी रोक ने लिए देशभर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है। पहली कैटेगरी (पूरी सप्लाई)=इसमें घर को रसोई गैस और गाड़ियों में डलने वाली ध्रुहन आती है।इन्हें पहले की तरह पूरा सप्लाई रहेगी। दूसरी कैटेगरी (खाद कारखाने): खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को करीब 70प्रतिशत गैस दी जाएगी। बस उन्हें यह साबित करना होगा कि गैस का इस्तेमाल खाद बनाने में ही हुआ है। तीसरी कैटेगरी (बड़े उद्योग)=नेशनल ग्रिड से जुड़ी चाय की फैक्ट्रियों और दूसरे बड़े उद्योगों को उनकी जरूरत की लगभग 8० प्रतिशत गैस मिलेगी। **अब खतीनी...**गाँव बस सेवा को नकार हो जाएँगे। बस का एक गाँव में कम से कम दो चक्कर जरूर लगेगा। किराए का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी तय करेगी। ओला उबरे जैसी भाड़ियों पर नियंत्रण के लिए इन्हें भी अब परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका आवेदन शुल्क 25000 रुपये रखा गया है। अगर कोई कंपनी आवेदन करती है तो उसे 5 लाख रुपए देना होगा। रिनिवल के लिए पांच हजार देना होगा। पांच साल में एक बार रिनिवल होगा। भारत सरकार ने पहले ही इस पर नियम बना चुकी है। उसी नियम को राज्य सरकार ने अपने यहां लागू करने की मंजूरी दे दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आचरण नियमावली को और सख्त बनाया गया है। अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने दो माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी भी चल संपत्ति जैसे वाहन, सोना या अन्य निवेश का लेनदेन करता है, तो उसे इसकी अनिवार्य सूचना अपने संबंधित सक्षम प्राधिकारी को देनी होगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। छह माह के मूल वेतन से ज्यादा शेयर मार्केट में लगाने पर घोषणा करनी होगी।

<b>घरेलू उपभोक्ताओं...</b>	<b>ज्ञानमण्डल लिमिटेड</b>
सप्लाई के लिहाज से अहम हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टैंट ऑफ होमुंज से ही भारत को आने वाले ज्यादातर तेल और गैस सप्लाई होता है।दोरी स्थिति में संकट घहरा गया। भारत अपनी जरूरत का कुल 62 फीसदी एलपीजी आयात करता है। यही नहीं तेल के मामले में यह निरभरता 85 फीसदी के करीब है। ऐसी स्थिति में ज्यादा दिनों तक यदि स्टैंट ऑफ होमुंज बंद रहा तो फिर संकट बढ़ेगा। देश में अब बड़े पैमाने पर खाना बनाने के लिए लोगों की निभरता एलपीजी पर बढ़ गई है। दो दशक पुरानी स्थिति नहीं है। ऐसे में गैस की कीफ़लत देते बड़े रुपये का कारण भी बन सकता है। यही वजह है कि सरकार ने इसे प्रार्थमिकता से लिया है और एग्सा लागू करके एलपीजी को सप्लाई का वर्गीकरण कर दिया है।भारत अपनी गैस की जरूरत का केवल 85 फीसदी हिस्सा फिलहाल सऊदी अरब से खरीद रहा है। इसका आयात स्टैंट ऑफ होमुंज के रास्ते ही होता है। अभी यह बंद है। ऐसे में संकट गहरा है और सरकार फिलहाल सप्लाई के दूसरे स्रोत खोज रही है।	के लिए ज्ञानमण्डल यंत्रालय, संत कबीर मार्ग, <b>वाराणसी</b> से- <b>ओम प्रकाश शर्मा</b> द्वारा मुद्रित और प्रकाशित। <b>सम्पादक- शार्दूल विक्रम गुप्त</b> , स्थानीय कार्यालय <b>सम्पादक- शिवशंकर व्यास। गोरखपुर: बैंक रोड, प्रयागराज: ३,लीडर रोड, कानपुर: बांसमण्डी, झांसी: झोंकन बाग, लखनऊ: १,पालिंग रोड, आगरा: महात्मा गांधी रोड, बरेली: रोड नं. ३ परसाखेड़ा, पटना: फ्रेंजर रोड, रांची: नामकुम इण्डस्ट्रियल एरिया, जमशेदपुर: न्यू काली माटी रोड-साकची।</b>
	वर्ष-१०६ पू.सं. ८१९६७८१३१०२२२२ <p>आ. ए. आई. रजिस्ट्रेशन नं. २०२६ <p>फोन:- २२९२२१८ से २२९२२८७ तक <p>E-Mail:ajayvaranasi.1920@gmail.com <p>W ebsite<span> </span>: www.ajindicaily.com <p>पी.आर.बी. अधिनियम के अन्तर्गत समाचार चयन के लिए ओम प्रकाश शर्मा जिम्मेदार होंगे तथा समस्त विवाद वाराणसी न्यायालय के अधीन होंगे।</p></p></p></p></p>

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विद्युत मण्डल बलिया-277001 ई-मेल **se.bal-lia@pu vvn.in** ई-निविदा सूचना निविदा सं एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण दिनांक- 2026 निम्नलिखित कार्यों हेतु अति अल्पकालिक ई-निविदायें पत्रांक 4002 दिनांक 29.12.26 द्वारा एवं पत्रांक 635 दिनांक 16.02.2026 द्वारा आमंत्रित थी। उक्त निविदा में निविदाताता के प्रतिभाग नहीं होने के कारण निविदाएं पुन: (Re-tender) आमंत्रित है- (1) 28/EDC/(B)/2025-26, विद्युत वितरण खण्ड बैरिया बलिया अन्तर्गत ओ.एण्डएम. मद एच.टी. एल.टी. लाईन के अनुसंधान का कार्य। प्रपत्र शुल्क रु. 1180 धरोहर धनराशि रु. 10,000.00/- (२) 33/EDC/(B )/2025-26, जमा योजना के तहत विद्युत वितरण खण्ड बलिया नगर बलिया अन्तर्गत विशेष शाखा अधिसूचना विभाग, बलिया को 09 किलो विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युतीकरण का कार्य, प्रपत्र शुल्क रु. 1180 धरोहर धनराशि रु. 21,000.00/-3) 34/EDC/(B)/2025-26, विद्युत वितरण खण्ड बांसडीह बलिया के अधीन विजनेस प्लान 2024-25 (फेज-2) के तहत 2 अदद के. वी लाईन निर्माण (सेमी टर्नकी आधार पर) का कार्य, प्रपत्र शुल्क रु. 3540 धरोहर धनराशि रु. 27,000.00/-4) ई-निविदा की अंतिम तिथि 17 मार्च 2026 17:00 बजे विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट **http:// etender.up.nic.in** पर उपलब्ध है। अग्रेतर समस्त सूचनाएं वेब साईट पर ही प्रदर्शित की जाएंगी। अधीक्षण अभियन्ता पत्रांक-728 / वि.वि.मं.(ब) / ई-निविदा दिनांक: 09.03.2026

11 राष्ट्रहित में बिजली बचायें 11

<b><span><span> </span><span> </span></span>सूचना</b>
<b>प्रबंध समिति चुनाव कार्यक्रम</b>
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विद्या भंदिर उ० मा० विद्यालय, <b>सुरही-बखरिया, वाराणसी</b> में प्रबंध समिति चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है, जो विद्यालय प्रांगण में सम्पन्न होगा। जिसका विवरण निम्नलिखित है - <p>नामंक-नं - दिनांक 15/3/26, समय 8.00 बजे से 10.00 बजे तक नामंकनं वापसी - दिनांक 15/3/26,समय 11.00 बजे से 12.00 बजे तक मतदान - दिनांक 15/3/26, समय 12.00 बजे से 4.00 बजे तक मतगणना एवं परिणाम - दिनांक 15/3/26, समय 4.00 बजे से कार्य समाप्त तक।</p> <p>प्रधिकृत निम्नलिखित <b>विद्या भंदिर उ० मा० विद्यालय, सुरही-बखरिया, वाराणसी</b></p>

<b><span><span> </span><span> </span></span>वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी</b>
<b>(सार्वजनिक प्रश्न)</b>
श्री अग्रवाल वरुण डीपी एनडीएल के द्वारा वाराणसी संख्या 02, मौजा रिजपेट्टी, परगना रावतपुर, सहली मुसहरवाय, जयपट्ट बनवली पर निर्मित पेट्रोल पम्प के निर्माण को रणनीत बनाने हेतु प्राधिकरण से शान्त मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। समयानुर चर्चित तीन दस्ताव उपलब्ध नगर महसुलांकन-203(पुनरीक्षण) के अनुसार प्रस्तावत भूमि विवर पर यह दस्ताव निर्मित है, का मू-उपयोग सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं तथा सेवाएं/उपयोगिताएं (PS) है। उ०प०० विकास प्राधिकरण भवन विकास

